LATEST

# NEWS

## Election

## Date : 25th Feb. 2026

## Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

# 'एसआईआर जल्दी कराने के ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

है कि न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए और स्पष्टीकरण जरूरी है।''

अदालत ने यह भी कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जरूरत पड़ने पर उड़ीसा हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि इन दो पड़ोसी राज्यों से ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की मदद ली जा सके

अदालत ने आदेश दिया, ''यदि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लगे कि और मानव संसाधन की जरूरत है, तो वे पड़ोसी राज्यों, उड़ीसा और झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से वहां के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को समान पद पर तैनात करने के लिए कह सकते हैं। ऐसे अधिकारियों का यात्रा, रहने और खाने का खर्च ईसीआई उठाएगा।''

इस बीच, पीठ ने उन दस्तावेजों को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया, जिन्हें दावों की प्रोसेसिंग के दौरान स्वीकार किया जा सकता हैं।

अदालत ने आदेश दिया, सितंबर 2025 में इस अदालत के उस आदेश को, जिसमें आधार को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया था और साथ ही, माध्यमिक एडमिट कार्ड और पासवर्ड सर्टिफिकेट से संबंधित रिट याचिका पर दिए गए इस अदालत के आदेश को भी मान्य किया जाएगा। हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसे सभी दस्तावेज, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट किए गए हों या 14 फरवरी 2026 से पहले भौतिक रूप से जमा किए गए हों, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।''

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईसीआई 28 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित कर सकता है और उसके बाद पूरक सूची लगातार जारी की जा सकती है।

पीठ ने कहा, ''हम अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह घोषित करना उचित समझते हैं कि पूरक सूची में शामिल मतदाताओं को 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची का हिस्सा माना जाएगा।''

9 फरवरी को अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसने ईसीआई को जो अधिकारी दिए हैं, वे ड्यूटी पर रिपोर्ट करें।

हालांकि, बाद में ईसीआई ने आरोप लगाया कि उसे योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इसके बाद न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया गया।

पिछले सप्ताह अदालत ने साफ कर दिया था कि न्यायिक अधिकारियों या पूर्व न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए हर आदेश को अदालत का आदेश माना जाएगा और राज्य के अधिकारी उसे तुरंत लागू करने के लिए बाध्य होंगे, ताकि एसआईआर प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

पिछले वर्ष ईसीआई ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर कराया था। एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नैशनल फैडरेशन फॉर इंडियन वीमैन (एनएफआईडब्ल्यू) सहित, कई इकाइयों द्वारा दायर याचिकाओं में इस प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई, इसलिए ईसीआई ने एसआईआर जारी रखा।

इसके बाद ईसीआई ने पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु सहित, अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर शुरू किया। इसे लेकर कई याचिकाएं दायर हुईं। अदालत ने 29 जनवरी को इन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाद में अदालत में याचिका दायर कर राज्य में एसआईआर कराने के ईसीआई के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने मांग की कि चुनाव पिछले वर्ष तैयार की गई मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से ''लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी'' (तर्कसंगत विसंगतियां) श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के नाम हटाने पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की।

4 फरवरी को बनर्जी खुद अदालत में पेश हुईं और एसआईआर से जुड़े कई मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसीआई ने इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य को निशाना बनाया है।

राष्ट्रदूत ( एच.यू.एफ. ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं
2386032, फैक्स:0744-2386033 **बीकानेर कार्यालय:**-कंधाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 **उदयपुर कार्यालय:**-आयड़, मेन रोड आयड़, उदय

# 'एसआईआर जल्दी कराने के लिए सिविल जजों को भी तैनात कर सकते हैं'

## सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया और कहा कि सिविल जज तीन साल के अनुभवी होने चाहिए

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार में भरोसे की भारी कमी है। कोर्ट ने इससे पहले 20 फरवरी को एसआईआर के संचालन के लिए जिला जज, अतिरिक्त जिला जज व सेवानिवृत्त जजों की तैनाती का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की तैनाती का आदेश भी दिया है, ताकि एसआईआर कवायद में तेजी लाई जा सके।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर उड़ीसा व झारखंड के सेवारत या सेवानिवृत जजों की मदद ली जा सकती है। इनकी यात्रा, रहने व खाने का खर्च चुनाव आयोग उठाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संशोधित मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, उसके बाद पूरक सूचियाँ जारी की जा सकती हैं तथा पूरक सूची में शामिल मतदाताओं को 28 फरवरी को जारी की गईं संशोधित मतदाता सूची में शामिल माना जाएगा।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पैशल इंटैंसिव रिविज़न (एसआईआर) में तेजी लाने के लिए कम से कम तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को भी तैनात कर सकता है।

अदालत ने कहा कि इलैक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया (ईसीआई) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच भरोसे की कमी है। कोर्ट ने 20 फरवरी को एसआईआर के सुचारु संचालन के लिए जिला जज और अतिरिक्त जिला जज, यहां तक कि सेवानिवृत्त जजों की भी तैनाती का आदेश दिया था।

इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट को एक नोट भेजकर बताया कि यह काम बहुत बड़ा है, 250 न्यायिक अधिकारियों को लगभग 50 लाख मतदाताओं के मामलों का फैसला करना है, जो ''लॉजिकल डिस्क्रिपैंसी'' और ''अनमैप्ड'' श्रेणी में आते हैं।

अनुमान लगाया गया कि यदि हर जज रोज 250 मामलों का निपटारा करे, तो भी इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 80 दिन लगेंगे।

इसी को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की पीठ ने आज सिविल जजों की तैनाती की अनुमति दे दी, ताकि काम युद्ध स्तर पर किया जा सके। पीठ ने कहा, ''इस तथ्य और समय की कमी को देखते हुए हमें लगता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंजाब केसरी
WED,25 FEBRUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 2

# मूल्यांकन, परीक्षा कराने के बाद शिक्षक करेंगे SIR रिवीजन

## सुबह से शाम मूल्यांकन और परीक्षा में ही होगी, एसआईआर रिवीजन कब? सरकारी अध्यापकों पर बढ़ा कार्य का दबाव

जयपुर, 24 फरवरी (ब्यूरो) : एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरी मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो गया, लेकिन इस कार्य में लगे करीब 5 हजार अध्यापकों को अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटी से मुक्त कर स्कूलों को रवाना करने की अनुमति नहीं दी है। दूसरी तरफ अध्यापक 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने के साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के स्पॉट मूल्यांकन में भी लगे हैं।

अब एसआईआर के दोबारा रिवीजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने नया आदेश जारी करते हुए यह निर्देश जारी किया है कि अध्यापक स्कूल में परीक्षा कराने, एग्जामिनर के तौर पर स्पॉट मूल्यांकन करने के बाद एसआईआर का कार्य करेंगे। अध्यापक परेशान है कि इन सभी कार्यों के बाद समय कब बचेगा, जिसमें वह एसआईआर का कार्य करेंगे।

### बोझ से दबे अध्यापक मूल्यांकन से छुड़ा रहे पीछा

आरबीएसई अजमेर ने इस साल दसवीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की चेकिंग के लिए स्पॉट मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए जयपुर के शिक्षा संकुल और सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें विषय अध्यापकों को एग्जामिनर के तौर पर स्पॉट पर ही मूल्यांकन करने को कहा जा रहा है, जिससे अध्यापक कन्नी काट रहे हैं। अध्यापकों को यह परेशानी है कि दूर दराज से जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। वहां रात में ठहरने की व्यवस्था, दिन में आराम करने की व्यवस्था, लंच और डीनर की व्यवस्था नहीं है। कॉपी चेकिंग के जो मानदेय निर्धारित है उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उपर से दबाव यह है कि एक एक एग्जामिनर को 400 तक कापियां चेकिंग के लिए दी जा रही है। इतने दबाव में कापी चेकिंग करने पर गलती हुई तो उनके उपर कार्रवाई भी होगी। आरबीएसई को मूल्यांकन के लिए पर्याप्त एग्जामिनर नहीं मिल रहे हैं।

**एक साथ तीन ड्यूटी करना मुश्किल:** सुबह और शाम दो शिफ्ट में बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी, उसके बाद स्पाट कापी चेकिंग भी करनी है। फिर एसआईआर का कार्य कब और कैसे किया जाएगा। बोर्ड में पहले से ही अध्यापकों की भारी कमी है। एक फरवरी को जारी किए गए शिक्षा विभाग के आंकड़े के मुताबिक सभी कैटेगरी के कुल 26 हजार पद खाली है। पांच हजार तो एसआईआर में ही लगे है। यानी 30 हजार तो सीधे तौर पर बाहर हो गए। उनका कार्य भी कार्यरत अध्यापकों के ऊपर आ गया है।

एआई जनरेटेड

### परीक्षा ड्यूटी के बाद एसआईआर कैसे करेंगे?

आरबीएसई ने एक साथ ही 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू कर दी है। जिसके कारण दोनो ही शिफ्ट में परीक्षा हो रही है। सुबह 10वीं बोर्ड की और दोपहर बार 12वीं बोर्ड की। दोनो शिफ्ट में ड्यूटी के बाद कापी एकत्र करने, मिलान करने और सील करने के बाद ही फ्री होते हैं। इतने में ही शाम हो जाती है। फिर एसआईआर कब और कैसे किया जाएगा।

पंजाब केसरी
WED,25 FEBRUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

# अब वोटिंग वाले दिन पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में तैनात होंगे पुलिसकर्मी

नई दिल्ली, 24 फरवरी (नवोदय टाइम्स): निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश के तहत आदेश दिया है कि अब से मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिसकर्मियों की तैनाती का काम (रैंडमाइजेशन) निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया जाएगा। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का 'रैंडमाइजेशन' निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। किसी तरह के पूर्वाग्रह से बचने के लिए स्थानीय पुलिस को उनके वर्तमान थाना क्षेत्रों के बाहर तैनात किया जाता है।

**निष्पक्षता के लिए किया जाता है पुलिसकर्मियों का 'रैंडमाइजेशन'**

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस महानिदेशकों को सोमवार को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा, "मतदान के दिन मतदान केंद्र पर तैनात राज्य पुलिस कर्मियों का रैंडमाइजेशन उस जिले के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तैनात पुलिस पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया जाएगा।" यह आदेश भविष्य के सभी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए है। एक अधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिसकर्मियों का 'रैंडमाइजेशन' करते हैं। अधिकारी ने कहा, "वे ऐसा करना जारी रखेंगे। लेकिन अब यह काम पुलिस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में किया जाएगा।" इसी साल अप्रैल में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इन राज्यों में नई प्रक्रिया लागू की जाएगी।

पंजाब केसरी
WED,25 FEBRUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

# SIR: झारखंड, ओडिशा से बंगाल बुलाए जाएंगे न्यायिक अधिकारी

नई दिल्ली, 24 फरवरी (नवोदय टाइम्स): उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में 80 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए दीवानी न्यायाधीशों को नियुक्त करने और पड़ोसी राज्यों झारखंड तथा ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को बुलाने की अनुमति दी।

**सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी इजाजत**

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एक पत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि एसआईआर के लिए तैनात 250 जिला न्यायाधीशों को दावों और आपत्तियों से निपटने में लगभग 80 दिन लगेंगे। गंभीर स्थिति और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए पीठ ने प्रक्रिया संचालित करने के लिए दीवानी न्यायाधीशों की तैनाती की अनुमति दी। उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से झारखंड और ओडिशा के अपने समकक्षों से अनुरोध करने और स्थिति से निपटने के लिए समान पदों के न्यायिक अधिकारियों की मांग करने को कहा। पीठ ने निर्वाचन आयोग को झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का खर्च वहन करने का निर्देश भी दिया। उच्चतम (शेष पृष्ठ 13 कालम 4 पर)

दैनिक नवज्योति Jaipur City - 25 Feb 2026 - Page 12

# राज्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ चुनाव आयोग की गोलमेज चर्चा में मतदाता सूची की शुद्धता पर बल

**एजेंसी/नई दिल्ली।** चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को यहां राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों के साथ राष्ट्रीय गोलमेज चर्चा -2026 एक घोषणा पत्र के अनुमोदन के साथ सम्पन्न हुई, जिसमें मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मतदाता सूचियां तैयार करने और चुनावों के संचालन में भारतीय चुनाव आयोग और राज्यों के चुनाव आयोगों के बीच सहयोग का संकल्प लिया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पहल पर 27 वर्ष बाद आयोजित इस बैठक के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि गोलमेज चर्चा के घोषणा पत्र में राज्य निर्वाचन आयुक्तों (एसईसी) ने कानूनी ढांचे के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार करने और चुनाव के संचालन में सहयोग की आवश्यकता पर जोर देने का संकल्प लिया। तालमेल बनाकर काम करने की आवश्यकता पर जोर

भारत मंडपम में आयोजित इस गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने की, जिसमें निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुबोध कुमार सिंह और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी मौजूद थे। उद्घाटन सत्र में कुमार ने चुनाव आयोग और राज्यों के चुनाव आयुक्तों के बीच उनके संबंधित संवैधानिक अधिकारों के तहत समन्वय और सहयोग स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने देश में चुनाव प्रक्रियाओं की अखंडता और कुशलता को और दृढ़ करने के लिए मतदाता सूची की सटीकता, पारदर्शिता को अपनाने और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए तालमेल बनाकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सम्मेलन में डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए, डॉ. जोशी ने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के कामकाज के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म- ईसीआईनेट के उपयोग का प्रस्ताव रखा।

चुनावी प्रबंधन में सहयोगात्मक संघवाद की भावना को बल वक्तव्य में कहा गया है कि इस सम्मेलन ने विचार-विमर्श का एक मंच प्रदान किया और इससे चुनावी प्रबंधन में सहयोगात्मक संघवाद की भावना को बल मिला। बयान के अनुसार, प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय प्रगति में अपनी भूमिका और देश के लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर यह भी कहा गया कि भारत का चुनाव आयोग, पंचायतों और नगर निकायों से जुड़े कानूनों तथा संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से जुड़े कानूनों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए राज्यों के चुनाव आयोगों के साथ मिलकर काम करेगा और भविष्य में संवैधानिक दृष्टि को सर्वोपरि रखते हुए देश के काम करेगा। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गयी ए कॉन्फ्लुयंस ऑफ डेमॉक्रसीज नामक की एक कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के हाल ही में संपन्न हुए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन- 2026 का संपूर्ण विवरण दिया गया है।

दैनिक भास्कर

जयपुर 25-02-2026

नया आदेश

## 28 फरवरी को आएगी बंगाल SIR की अंतिम सूची

# बंगाल के SIR में जजों को लगाएं, जरूरत पड़े तो ओडिशा-झारखंड से बुलाएं : सुप्रीम कोर्ट

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर की अंतिम वोटर लिस्ट 28 फरवरी को आनी हैं। समय कम है और 80 लाख दावे-आपत्तियों की जांच होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर चिंता जताई और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया कि वो इस काम में सिविल जजों को लगाएं। जरूरत पड़े तो ओडिशा और झारखंड से समान रैंक के न्यायिक अधिकारियों को भी बुलाकर लगाएं।

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि अगर 250 न्यायिक अधिकारी रोज 250 आपत्तियां जांचें तो भी 80 दिन लगेंगे। ऐसे में सिविल जजों की तैनाती करें। इस निर्देश के बाद देर रात कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राज्य के सभी सिविल जजों की छुट्टियां रद्द कर दीं। बता दें कि बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में माइक्रोऑब्जर्वर नियुक्त करने के आदेश के बाद से ही तृणमूल सरकार और निर्वाचन आयोग में टकराव चल रहा है। इसी ब्लेम गेम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को असाधारण निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर में सेवारत और रिटायर्ड जजों को तैनात करें।

### बूथ पर पर्यवेक्षकों के सामने तैनात होंगे पुलिस जवान

**नई दिल्ली।** अब से मतदान के दिन पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किए जाने वाले राज्य पुलिस कर्मियों का रैंडमाइजेशन (यादृच्छिक चयन) निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। रैंडमाइजेशन का मकसद यह है कि ड्यूटी पर लगाए गए स्थानीय पुलिसकर्मी अपने मौजूदा थाना क्षेत्र से बाहर तैनात हों, ताकि चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे।

# छात्राओं ने हाथों पर उकेरे मतदान जागरूकता के संदेश

**● स्वीप गतिविधि के तहत राउमावि राखी में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित**

**सहकार समाचार, बालोतरा।**

लोकतंत्र के महापर्व में अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राखी में मतदाता साक्षरता क्लब के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

विद्यालय परिसर में आयोजित इस रचनात्मक प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने हाथों पर आकर्षक मेहंदी डिजाइनों के माध्यम से मतदान अवश्य करें, पहले मतदान, फिर जलपान, मेरा वोट - मेरा अधिकार, लोकतंत्र की पहचान - वोट का सम्मान जैसे प्रेरक संदेश उकेरे। रंग-बिरंगी और सृजनात्मक कलाकृतियों के माध्यम से छात्राओं ने लोकतंत्र के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रशासन ने छात्राओं को मतदान के महत्व, मतदाता पंजीकरण, नैतिक मतदान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक नागरिक का मत अमूल्य है और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में युवा मतदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश मीणा ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी मिलती है, बल्कि वे अपने परिवार एवं समाज को भी मतदान के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी छात्राओं से भविष्य में मतदाता बनने पर शत-प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक मतदाता की जागरूकता और भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। उन्होने कहा कि युवा पीढ़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज की छात्राएं कल की मतदाता हैं, इसलिए उन्हें अभी से मतदान प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण एवं निष्पक्ष मतदान के महत्व की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने परिवार, पड़ोस और समाज में शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इस अवसर पर व्याख्याता गोविन्ददान चारण, लिखमाराम, प्रहलाद नरावत, कपिल दवे, शारीरिक शिक्षक भगवतसिंह चौहान, बीएलओ पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार, बीएलओ गणेशाराम, भेराराम प्रजापत, बाबूलाल देवड़ा तथा विक्रमसिंह, रतनलाल, जालमसिंह एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने निष्पक्ष, निर्भीक एवं अनिवार्य मतदान का संकल्प लिया।

# पैरालीगल वॉलेन्टियर्स

**सहकार समाचार, बालोतरा।**

# छात्राओं ने मेहंदी से दिया मतदान का संदेश

**नमस्कार नेशन**

**समदड़ी**। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राखी में स्वीप कार्यक्रम के तहत मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई। छात्राओं ने आकर्षक डिजाइनों में उकेरकर मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। सुपरवाइजर महेंद्र कुमार ने मतदान के महत्व, पंजीकरण और नैतिक मतदान पर जानकारी दी। संस्था प्रधान राकेश मीणा ने कहा कि विद्यार्थी समाज को जागरूक करने की अहम कड़ी हैं। कार्यक्रम में बीएलओ गणेशाराम सहित स्टाफ मौजूद रहा और सभी ने निष्पक्ष, निर्भीक मतदान का संकल्प लिया।

# राखी विद्यालय में स्वीप गतिविधि के तहत मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित, छात्राओं ने हाथों पर उकेरे मतदान जागरूकता के संदेश

**दैनिक सच मीडिया**

**सिवाना/प्रवीण वैष्णव ।** लोकतंत्र के महापर्व में अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राखी में मतदाता साक्षरता क्लब के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस रचनात्मक प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने हाथों पर आकर्षक मेहंदी डिजाइनों के माध्यम से 'मतदान अवश्य करें ', 'पहले मतदान, फिर जलपान ', 'मेरा वोट - मेरा अधिकार ', 'लोकतंत्र की पहचान - वोट का सम्मान' जैसे प्रेरक संदेश उकेरे। रंग-बिरंगी और सृजनात्मक कलाकृतियों के माध्यम से छात्राओं ने लोकतंत्र के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान सुपरवाइजर महेंद्र कुमार बामनिया ने छात्राओं को

मतदान के महत्व, मतदाता पंजीकरण, नैतिक मतदान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक नागरिक का मत अमूल्य है और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में युवा मतदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश मीणा ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी मिलती है, बल्कि वे अपने परिवार एवं समाज को भी मतदान के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी छात्राओं से भविष्य में मतदाता बनने पर शत-प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। स्वीप गतिविधि के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक मतदाता की जागरूकता और भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। उन्होने कहा कि युवा पीढ़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज की छात्राएं कल की मतदाता हैं, इसलिए उन्हें अभी से मतदान प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण एवं निष्पक्ष मतदान के महत्व की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने परिवार, पड़ोस और समाज में शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इस अवसर पर सुपरवाइजर महेंद्र कुमार बामनिया, संस्था प्रधान राकेश मीणा, बीएलओ गणेशाराम, भेराराम प्रजापत, बाबूलाल देवड़ा तथा विक्रमसिंह एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने निष्पक्ष, निर्भीक एवं अनिवार्य मतदान का संकल्प लिया।

# राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राखी में स्वीप गतिविधि के तहत मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित

## छात्राओं ने हाथों पर उकेरे मतदान जागरूकता के संदेश

मरुलहर न्यूज

**बालोतरा।** लोकतंत्र के महापर्व में अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राखी में मतदाता साक्षरता क्लब के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस रचनात्मक प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने हाथों पर आकर्षक मेहंदी डिजाइनों के माध्यम से हमतदान अवश्य करेंह, हपहले मतदान, फिर जलपानह, हमेरा वोट - मेरा अधिकारह, हलोकतंत्र की पहचान - वोट का सम्मानह जैसे प्रेरक संदेश उकेरे। रंग-बिरंगी और सृजनात्मक कलाकृतियों के माध्यम से छात्राओं ने लोकतंत्र के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रशासन ने छात्राओं को मतदान के महत्व, मतदाता पंजीकरण, नैतिक मतदान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक नागरिक का मत अमूल्य है और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में युवा मतदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश मीणा ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी मिलती है, बल्कि वे अपने परिवार एवं समाज को भी मतदान के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी छात्राओं से भविष्य में मतदाता बनने पर शत-प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

स्वीप गतिविधि के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक मतदाता की जागरूकता और भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज की छात्राएं कल की मतदाता हैं, इसलिए उन्हें अभी से मतदान प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण एवं निष्पक्ष मतदान के महत्व की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने परिवार, पड़ोस और समाज में शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इस अवसर पर व्याख्याता गोविन्ददान चारण, लिखमाराम, प्रहलाद नरावत, कपिल दवे, शारीरिक शिक्षक भगवतसिंह चौहान, बीएलओ पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार, बीएलओ गणेशाराम, भेराराम प्रजापत, बाबूलाल देवड़ा तथा विक्रमसिंह, रतनलाल, जालमसिंह एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने निष्पक्ष, निर्भीक एवं अनिवार्य मतदान का संकल्प लिया।

# स्वीप गतिविधि के तहत मेहंदी प्रतियोगिता से मतदान जागरूकता के लिए दिया संदेश

भास्कर न्यूज | राखी

लोकतंत्र के महापर्व में अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राउमावि राखी में मतदाता साक्षरता क्लब के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई।

स्कूल परिसर में आयोजित इस रचनात्मक प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने हाथों पर आकर्षक मेहंदी डिजाइनों के माध्यम से मतदान अवश्य करें, पहले मतदान, फिर जलपान, मेरा वोट - मेरा अधिकार, लोकतंत्र की पहचान - वोट का सम्मान जैसे प्रेरक संदेश उकेरे। रंग-बिरंगी व सृजनात्मक कलाकृतियों के माध्यम से छात्राओं ने लोकतंत्र के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रशासन ने छात्राओं को मतदान के महत्व, मतदाता पंजीकरण, नैतिक मतदान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक नागरिक का मत अमूल्य है और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में युवा मतदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य राकेश मीणा ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। उन्होंने सभी छात्राओं से भविष्य में मतदाता बनने पर शत-प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक मतदाता की जागरूकता और भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने परिवार, पड़ोस और समाज में शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

इस अवसर पर व्याख्याता गोविंददान चारण, लिखमाराम, प्रहलाद नरावत, कपिल दवे, शारीरिक शिक्षक भगवतसिंह चौहान, बीएलओ पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार, बीएलओ गणेशाराम, भेराराम प्रजापत, बाबूलाल देवड़ा, विक्रमसिंह, रतनलाल, जालमसिंह सहित छात्र-छात्राएं मौजूद रही।

## राउमावि राखी में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन, वोट देने की दी सीख

# कार्यक्रम : छात्राओं ने दिया मतदान जागरूकता का संदेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**सिवाना.** लोकतंत्र के महापर्व में अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राखी में मंगलवार को मतदाता साक्षरता क्लब के तहत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विद्यालय परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने हाथों पर आकर्षक मेहंदी डिजाइनों के माध्यम से "मतदान अवश्य करें", "पहले मतदान, फिर जलपान", "मेरा वोट मेरा अधिकार", "लोकतंत्र की पहचान, वोट का सम्मान" जैसे प्रेरक संदेश उकेरे। रंग-बिरंगी सृजनात्मक कलाकृतियों के माध्यम से छात्राओं ने लोकतंत्र के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। सुपरवाइजर महेंद्र कुमार बामनिया ने छात्राओं को मतदान के महत्व, मतदाता पंजीकरण, नैतिक मतदान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य राकेश मीणा ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी मिलती है और वे अपने परिवार एवं समाज को भी मतदान के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक मतदाता की जागरूकता और भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है तथा युवा पीढ़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।इस अवसर पर बीएलओ गणेशाराम, भेराराम प्रजापत, बाबूलाल देवड़ा, विक्रमसिंह सहित छात्राएं उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में सभी ने निष्पक्ष, निर्भीक एवं अनिवार्य मतदान का संकल्प लिया।

सिवाना. राउमावि राखी में मतदान जागरूकता का संदेश देतीं बालिकाएं।